संघे शक्ति सर्वदा | सत्यमेव जयते | लेखपाल संघ-जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकरण संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओमनगर रोड, आलमबाग बस स्टेशन के सामने, लखनऊ-226005

E-mail: lekhpal.up@gmail.com   Website: www.lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
मो. : +91-9456225600
पत्राचार : मो. विद्याल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
मो. : +91-9415281875
पत्राचार : कृष्णानगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

उपाध्यक्ष
दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
मो.: 9536500281

भूपेन्द्र सिंह
मो. 9198895639, 9936785161

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
मो.: 9451510484

प्रदेश कोषाध्यक्ष
विनोद कुमार कश्यप
मो.: 9760398504,

संगठन मंत्री
सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो.: 9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन)
मो.: 9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
मो.: 9415678593

प्रदेश ऑडिटर
मूलचन्द पटेल
मो.: 9695863623

पत्रांक: 08/ म०मंत्री/18   दिनांक: 06/04/2018

सेवा में,

मा० प्रमुख सचिव राजस्व,
उ०प्र० शासन,   लखनऊ।

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 21 मई 2017 को लिए गये निर्णय के अनुपालन में लेखपालों के निजी अनुरोध पर अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने विषयक।

महोदय,

महोदय मा० अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में परिषद की बैठक दिनांक 03 मई 2016 में विशिष्ट परिस्थितियों में लेखपालों के निजी अनुरोध पर मा० परिषद द्वारा प्रदेश भर में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किए जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया था, जिसका प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया था। दिनांक 21 सितम्बर 2016 को उ०प्र० लेखपाल संघ के प्रतिनिधिमण्डल की मा० मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी जिसमें मा० मुख्य सचिव, मा० प्रमुख सचिव राजस्व, मा० प्रमुख सचिव सूचना, मा० सचिव मुख्यमंत्री व विशेष सचिव मुख्यमंत्री उपस्थित थे। मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा लेखपाल संघ की मांगों पर विचार विमर्श के उपरान्त मांगों को स्वीकार करते हुए शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए गये थे। जिसके सम्बन्ध में मा० प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा शासनादेश 2415/एक–9–2016–रा–9, लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर 2016 निर्गत किया गया। इसमें लिए गये निर्णय क्रमांक 2(घ) के अनुसार "लेखपालों को अतिविशिष्ट परिस्थिति यथा– गम्भीर बीमारी, पति व पत्नी के पृथक–पृथक जनपदों में तैनाती आदि के दृष्टिगत उनके निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करने" का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा मा० परिषद से उक्त के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी थी कि अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की स्थिति में लेखपालों की वरिष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसके कम में मा० अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में परिषद की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में निर्णय लिया गया कि प्रदेश स्तरीय वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि लेखपाल पद पर मौलिक नियुक्ति के आधार पर प्रदेश स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार की जाती है जिसमें ज्येष्ठता का निर्धारण "ज्येष्ठता नियमावली 1991" के अनुसार किया जाता है।

महोदय, लेखपाल सेवा में 20 प्रतिशत महिला लेखपाल भर्ती की गयी हैं। कतिपय महिला लेखपालों की तैनाती उनके पति/पिता के निवास से दूरस्थ जनपदों में है। शासन से वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2018–19 निर्गत हो चुकी है जिसमें विशिष्ट परिस्थितियों में गृह जनपद, पति के तैनाती/निवासित जनपद अथवा बीमार/वृद्ध माता–पिता के निवास के जनपद में स्थानान्तरण की व्यवस्था प्रदान की गयी है, किन्तु लेखपाल सेवा नियमावली में मण्डल के बाहर स्थानान्तरण की व्यवस्था न होने के कारण उक्त सुविधा का लाभ लेखपालों को नहीं मिल पा रहा है। वार्षिक स्थानान्तरण 30 मई 2018 तक किए जाने हैं और लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन उक्त तिथि तक संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2018–19 का वास्तविक लाभ लेखपालों को भी प्रदान करने हेतु मा० राजस्व परिषद के प्रस्ताव एवं शासन के निर्णय दिनांक 21 सितम्बर 2016 के अनुसार "लेखपालों को अतिविशिष्ट परिस्थिति यथा– गम्भीर बीमारी, पति व पत्नी के पृथक–पृथक जनपदों में तैनाती आदि के दृष्टिगत उनके निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करने" सम्बन्धी शासनादेश शीघ्र निर्गत करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

Scanned by CamScanner

संघे शक्ति सर्वदा

सत्यमेव जयते

लेखपाल संघ-जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकरण संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओमनगर रोड, आलमबाग बस स्टेशन के सामने, लखनऊ-226005
E-mail: lekhpal.up@gmail.com Website: www.lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
मो. : +91-9456225600
पत्राचार : मो. शिवदयाल कम्पाउंड, निकट आई टी.सी., सहारनपुर-247001(उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
मो. : +91-9415281875
पत्राचार : कृष्णानगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

उपाध्यक्ष
दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
मो.: 9536500281

भूपेन्द्र सिंह
मो. 9198895639, 9936785161

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
मो.: 9451510484

प्रदेश कोषाध्यक्ष
विनोद कुमार कश्यप
मो.: 9760398504,

संगठन मंत्री
सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो.: 9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन)
मो.: 9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
मो.: 9415678593

प्रदेश ऑडिटर
मूलचन्द पटेल
मो.: 9695863623

पत्रांक: 05/महामंत्री/18

दिनांक: 06/04/2018

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष महोदय,
राजस्व परिषद उ0प्र0,
लखनऊ।

विषयः–सीधी भर्ती 2015 के लेखपाल प्रशिक्षुओं की शीघ्र परीक्षा कराने एवं उनको सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ प्रदान किए जाने विषयक।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि प्रदेश में सीधी भर्ती 2015 के माध्यम से 13500 लेखपालों का चयन करते हुए अप्रैल 2016 में तहसीलों में नियुक्तियां प्रदान कर दी गयी तथा उनसे शासकीय कार्यों का निर्वहन भी नियुक्ति के समय से ही नियमित रूप से कराया जा रहा है। जनपद स्तर पर नवनियुक्त लेखपालों का एक वर्षीय प्रशिक्षण जुलाई 2016 से प्रारम्भ किया गया। जनपद उन्नाव को छोड़कर समस्त जनपदों में एक वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण हुए 6 माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी मा0 परिषद द्वारा अर्हकारी परीक्षा आयोजित नहीं करायी गयी जिससे 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद लेखपाल स्थायीकरण, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि सेवा लाभ से वंचित हैं।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि सीधी भर्ती 2015 के लेखपाल प्रशिक्षुओं की अर्हकारी परीक्षा अविलम्ब कराते हुए शीघ्र परीक्षाफल घोषित कराने तथा नवनियुक्त लेखपालों को सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ प्रदान किए जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
महामंत्री

Scanned by CamScanner

संघे शक्ति सर्वदा

सत्यमेव जयते

लेखपाल संघ-जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकरण संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओमनगर रोड, आलमबाग बस स्टेशन के सामने, लखनऊ-226005
E-mail: lekhpal.up@gmail.com Website: www.lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
मो. : +91-9456225600
पत्राचार : मो. शिवदयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
मो. : +91-9415281875
पत्राचार : कृष्णानगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

उपाध्यक्ष
दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
मो.: 9536500281

भूपेन्द्र सिंह
मो. 9198895639, 9936785161

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
मो.: 9451510484

प्रदेश कोषाध्यक्ष
विनोद कुमार कश्यप
मो.: 9760398504,

संगठन मंत्री
सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो.: 9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन)
मो.: 9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
मो.: 9415678593

प्रदेश ऑडिटर
मूलचन्द पटेल
मो.: 9695863623

पत्रांक: 06/महामंत्री/18

दिनांक: 06/04/2018

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष महोदय,
राजस्व परिषद उ0प्र0,
लखनऊ।

विषयः—तैनाती में विलम्ब के कारण प्रोन्नति का वास्तविक लाभ न मिलने विषयक।

महोदय,

आपके विशेष प्रयास के फलस्वरूप दिनांक 27 फरवरी 2018 को 1338 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक पदोन्नति प्रदान करते हुए आदेश निर्गत किया गया जिसमें कुछ पदोन्नत लेखपालों का सेवाकाल 6 माह से भी कम बचा है। मा0 परिषद द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 21 मार्च 2018 को समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 02 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों को दूसरे जनपदों के लिए कार्यमुक्त न किया जाए। कतिपय जनपदों में उन पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों को भी तैनाती प्रदान नहीं की गयी है जो उक्त 21 मार्च 2018 के आदेश के द्वारा प्रभावित नहीं हैं और मा0 परिषद के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2018 के अनुपालन में पदोन्नत स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उन्हे पदोन्नति के वास्तविक लाभ से वंचित किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में परिषद के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2018 का अनुपालन करने हेतु जिलाधिकारियों को पुनः निर्देशित करने की कृपा करें।

महोदय, उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि जिन पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों का सेवाकाल 02 वर्ष से कम अवशेष है, के सम्बन्ध में 31 मार्च 2018 तक नाम एवं जनपद में रिक्तियों का विवरण परिषद द्वारा मांगा गया था। इनमें कुछ पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों का सेवाकाल मात्र 03–04 माह अवशेष है और शीघ्र तैनाती न होने (संशोधित तैनाती एवं वार्षिक स्थानान्तरण एक साथ किए जाने के कारण सम्भावित अत्यधिक विलम्ब) की स्थिति में बिना पदोन्नति पद पर नियुक्ति पाए सेवानिवृत्त हो जाएगें। अतः ऐसे पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों को उनके मूल तैनाती जनपदों में रिक्तियां उपलब्ध होने पर वहीं पर, एवं रिक्तियों के अभाव में सीमावर्ती जनपदों में तैनाती तत्काल प्रदान करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
महामंत्री

Scanned by CamScanner